उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5
संख्या : **58** /आठ–5–24–04ई/2016
लखनऊ : दिनांक **08** जनवरी, 2024

<u>नियुक्ति/विज्ञप्ति</u>

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के **श्री नेकराम राजपूत**, अवर अभियन्ता (सिविल), गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतनमान रू0 15600–39100 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 5400/– (पे मैट्रिक्स लेवल–10) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एतद्द्वारा पदोन्नत कर नियुक्त किए जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– उक्त पदोन्नत अभियन्ता वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण करेंगे। इनकी तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3– उक्त पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या–414/2021 धनंजय सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

नितिन रमेश गोकर्ण
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैवः</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
2– सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या–81(4)/28/पी/सेवा–1(10)/2023–24, दिनांक 21.12.2023 के संदर्भ में।
3– श्री नेकराम राजपूत, अवर अभियन्ता (सिविल), गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को इस निर्देश के साथ कि आदेश के अनुपालन में प्रोन्नति के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर शासन को अवगत करायें।
4– सम्बन्धित अभियन्ता की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Arun Kumar
(अरूण कुमार)
अनु सचिव।

IPS UO-23- Paddonati order